

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड, जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 882/2014

आर.सी.टी.नम्बर 100882/2014

संस्थान दिनांक 24.12.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

मांगीलाल पिता मथुरालाल कोली, आयु 23 वर्ष,
निवासी-ग्राम ठीकरी, थाना-ठीकरी, जिला-बड़वानी
(म.प्र.)

-----अभियुक्त

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री विशाल कर्मा. अधिवक्ता ।

//निर्णय //

(आज दिनांक 13.11.2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 284/2014 के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 11.12.2014 को समय दिन के 12:00 बजे, स्थान फरियादी के खेत ठीकरी में फरियादी का हाथ लज्जा भंग करने के आशय से पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि फरियादी द्वारा राजीनामा करने के आधार पर आरोपी को भा.द.सं. की धारा 341 के अपराध से दोषमुक्त किया गया।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 11.12.2014 को फरियादिया ने थाना ठीकरी में आरोपी के विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि साई बिहार कॉलोनी के पास उसका गन्ने का खेत है जहाँ मजदूर गन्ना काट रहे थे। वह खेत पर जा रही थी। रास्ते में सामने से एक व्यक्ति उसे कास करके निकल गया। रास्ता सुनसान था। उस व्यक्ति ने बुरी नियत से एकदम से फरियादिया को पकड़कर बाथ में भर लिया तो उसने उस व्यक्ति को धक्का देकर अपने को छुड़ाया और चिल्लाने लगी तो फरियादिया के खेत में काम करने वाले मजदूर मंशाराम तथा रामलाल एवं ट्रैक्टर ड्राइवर शिव यादव तथा अजीज खान भी आ गये तो वह व्यक्ति फरियादिया को छोड़कर पास के गन्ने के खेत में जाकर छिप गया तो साक्षियों ने उस व्यक्ति को गन्ने के खेत में से ढूँढ़ा तथा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मांगीलाल पिता मथुरालाल, निवासी ठीकरी का बताया। वह अपने भतीजे को साथ लेकर रिपोर्ट करने आयी। घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 284/2014 अंतर्गत धारा 354, 341 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस ने फरियादी की निशां देही पर घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षी फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354, 341 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.12.2014 को समय दिन के 12:00 बजे, स्थान फरियादी के खेत ठीकरी में फरियादी को पकड़कर बाथ में भरकर लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार

06. फरियादी (अ.सा.1) का कथन है कि लगभग 02 साल पहले की घटना है। आरोपी ने उसके साथ घटना की थी। घटना वाले दिन वह अपने खेत पर जा रही थी तभी आरोपी उसके सामने से निकलकर कास हुआ। उसके बाद आरोपी ने सुनसान जगह देख कर उसे पीछे से आकर बुरी नियत से पकड़ लिया तथा उसकी कमर में हाथ डाल दिया। आरोपी के दोनों हाथ नाभी के पास थे। आरोपी ने बुरी नियत से उसके साथ घटना की जिससे वह घबरा गई। वह एकदम जोर से चिल्लाई तब उसके खेत में काम कर रहे मजदूर मंशाराम, रामलाल और शिव आ गये। उसने जोर से आरोपी को धक्का दिया तो आरोपी पास के गन्ने के खेत में जाकर छिप गया। साक्षी का यह भी कथन है कि मंशाराम, रामलाल और शिव आरोपी को गन्ने के खेत में से निकालकर लाये थे तथा उसका नाम पूछा तब उसने अपना नाम मांगीलाल बताया था। वहाँ उपस्थित लोगों ने आरोपी को पकड़कर रखा। उसने अपने भतीजे सर्ईद के साथ जाकर घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी। फरियादिया को थाना ठीकरी के **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट पढ़कर सुनाने पर साक्षी ने ऐसी ही रिपोर्ट लिखाना और उस पर अंगूठा निशान लगाना स्वीकार किया। फरियादिया का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और घटना स्थल पुलिस को बताया था।

07. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया कि घटना स्थल से उसका खेत 30-40 फीट की दूरी पर है। वह घटना के बाद 02:00 बजे थाने पहुंच गई थी। फरियादिया ने स्वीकार किया कि उसका राजपुर न्यायालय में कथन हुआ था। उसने **प्रदर्श डी-1** के कथन में उसके साथ घटना कारित करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था लेकिन, फरियादिया ने स्पष्ट किया कि उससे नाम नहीं पूछा था। फरियादिया ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी ने उसे पकड़ा तो उसने खुद को छुड़ाने के लिये अपना चेहरा पीछे किया तब आरोपी का चेहरा देख लिया। आरोपी उसके सामने भाग कर गन्ने के खेत में छिपा था तथा मजदूर उसे गन्ने के खेत से पकड़कर लाये थे। फरियादिया ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि आरोपी पहले उनके खेत में काम करता था और बाद में काम करने से मना करने पर वह आरोपी से नाराज था। फरियादिया ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह आरोपी को झूठा फंसाने के लिये असत्य कथन कर रही है।

08. सुरेन्द्र सिंह (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 11.12.2014 को थाना ठीकरी में फरियादिया ने आरोपी के विरुद्ध **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादिया को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा था। उसने फरियादिया के बताने पर नक्शामौका बनाया था। उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा आरोपी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी को खेत से पकड़कर लाये थे तथा साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि फरियादिया ने पकड़कर लाये व्यक्ति का नाम मांगीलाल बताया था और उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना स्थल से थाने की दूरी 01 किमी. है और घटना स्थल से थाने आने में लगभग 15-20 मिनट लगते हैं लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि फरियादिया एवं उसके परिवार वाले इकट्ठे हुये उसके बाद रिपोर्ट लिखाने आये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि फरियादिया ने परिवार के दबाव में असत्य रिपोर्ट दर्ज करायी है या वह असत्य कथन कर रही है।

09. आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादिया ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है तथा अभियोजन की ओर से किसी भी अन्य साक्षी के कथन नहीं कराये हैं। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर आरोपी दोषमुक्ति का अधिकारी है। उनका यह भी तर्क है कि फरियादिया ने अपने कथन में आरोपी को पहचानने की बात नहीं बतायी है। इसके विपरीत अभियोजन ने अपराध प्रमाणित होना बताकर आरोपी को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया है।

10. सही है कि फरियादिया ने आरोपी से राजीनामा किया लेकिन भा.द.सं. की धारा 354 का अपराध शमनीय प्रकृति का नहीं है और फरियादिया ने अपने कथन के दौरान आरोपी द्वारा उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से उसकी कमर में हाथ डाल कर अपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं जिसका कोई भी खण्डन नहीं है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद उसके द्वारा थाने पर करायी गई। जिसके संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह (अ. सा.02) ने स्पष्ट कथन किये हैं। यद्यपि अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में किसी अन्य साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया लेकिन यदि एक मात्र साक्षी के कथन पूर्णतया विश्वसनीय तो उसके आधार पर ही अभियोजन अपना मामला प्रमाणित कर सकता है क्योंकि किसी भी मामले को प्रमाणित करने के रूप में साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं होती है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य, 2003 (1) एस.सी.सी. 465 अवलोकन करने योग्य है।

11. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन भा.द.सं. की धारा 354 का अपराध आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः न्यायालय आरोपी मांगीलाल पिता मथुरालाल कोली को भा.द.सं. की धारा 354 के अपराध में दोषसिद्ध करता है। सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

पुनश्च:

सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया। उनका निवेदन है कि आरोपी गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित एवं मजदूर पेशा, कम आयु का नवयुवक है उसका यह प्रथम अपराध है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये तथा परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाये।

12. यह कहना सही है कि आरोपी घटना के समय 20-21 वर्ष की आयु का नवयुवक था तथा उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। आरोपी एक गरीब मजदूर पेशा और अशिक्षित व्यक्ति है जिसने विचारण का सामना शीघ्रता से किया है यहाँ तक की फरियादी ने आरोपी से राजीनामा भी प्रकरण में पेशा किया है। भा.द.सं. की धारा 354 में केवल 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उक्त परिस्थिति को देखते हुये आरोपी को सदाचरण की परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है। अतः अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की

धारा 4 के प्रावधान अनुसार आदेश किया जाता है कि आरोपी मांगीलाल पिता मथुरालाल कोली 2 वर्ष तक की अवधि के लिये रुपये 10,000/— (दस हजार रुपये) की जमानत तथा इतनी ही राशि का बंधपत्र इस शर्त के अधीन पेश करे कि वह उक्त समयावधि के दौरान परिशांती कायम रखेगा सदाचारी बना रहेगा तथा कोई भी अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

13. उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर वह सजा प्राप्त करने के लिये न्यायालय में उपस्थित होगा तथा इस अपराध का दण्डादेश प्राप्त करेगा।

14. आरोपी के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जप्त संपत्ति नहीं है।

15. आरोपी के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

16. निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित थाना ठीकरी को सूचनार्थ भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही /—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

